महानिबन्धक

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

विषय – निष्प्रयोज्य वाहनों (होन्डा सिटी) एंव पुराने टायरों की नीलामी।

निलामी की तिथि – 15 *फरवरी 2020, दिन–शनिवार*

स्थान – मा0 उच्च न्यायालय परिसर(गेट नं0 3बी के पास)

समय – प्रातः 11:00 बजे

रजिस्ट्रेशन नम्बर (होन्डा सिटी)

S.No.	Staff Car No.	Make & Model	S.No.	Staff Car No.	Make & Model
1	UP 70 AG 0603	HondaCity,2009	7	UP 70 AG 0621	HondaCity,2009
2	UP 70 AG 0605	HondaCity,2009	8	UP 70 AG 0623	HondaCity,2009
3	UP 70 AG 0607	HondaCity,2009	9	UP 70 AG 0624	HondaCity,2009
4	UP 70 AG 0615	HondaCity,2009	10	UP 70 AG 0625	HondaCity,2009
5	UP 70 AG 0617	HondaCity,2009	11	UP 32 BG 5007	HondaCity,2009
6	UP 70 AG 0619	HondaCity,2009	12	UP 32 BG 5012	HondaCity,2009

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रूपया 10,000/–(रू0 दस हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरन्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाले वाहन को निलामी से दो दिन पूर्व अर्थात 13.02.2020 को अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक उच्च न्यायालय परिसर में गेट नं0 3बी0 के पास देखा जा सकेगा।
5. बोली बोलने वालों का यह उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर लें।
6. जिसकी अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली की 75 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा निर्धारित धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गई तो बोली निरस्त समझी जायेगी व जमानत जब्त कर ली जायेगी।
7. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जावेगी व वाहन को पुनः नीलाम किया जायेगा।
8. वाहन की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है तब तक वाहन मा0 उच्च न्यायालय परिसर में ही रहेगा।
9. निष्प्रयोज्य नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा।

...क्रमशः पेज 2

10. वाहन *'जहाँ है जैसा है'* कि स्थिति में उच्च न्यायालय परिसर में नीलाम तथा निर्गत किया जायेगा।

11. नीलाम किये गये वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक कि उसने बोली की पूर्ण धनराशि का पूरा भुगतान, आर0टी0ओ0 आफिस द्वारा निर्धारित वाहन का टैक्स एवं जी0 एस0 टी0 जमा करके वाहन अपने नाम पर हस्तांतरित न करा लिया हो।

12. बोली दाता का जी0एस0टी0 मे पंजीकरण अनिवार्य है । (जी0एस0टी0 जमा करने हेतु)

13. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वाहन का पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात् तथा शर्त सं0 11 के पूर्ण होने के पश्चात्, तत्काल वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।

14. यदि नीलामी की शर्तों के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

15. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद इलाहाबाद में स्थित सक्षम न्यायालय में ही की जायेगी।

Sd/

महानिबन्धक

उच्च न्यायालय,इलाहाबाद

22.01.2020